FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

खेमाराम बनाम मेघाराम वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० आवे० 111,128 RLRAct नं. 82/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/02/18	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री जगदीश गोदारा ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू ~~राजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 05/03/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
05/03/18	अधिवक्तागण रेफरेन्स में है। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 12/03/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12/03/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत के चारो ओर पक्के निशान स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइशनी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइशनी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी का पैमाइशनी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की पैमाइश मौके पर शुल्क जमा करवाकर करे पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर के बाद दाखिल दफ्तर हो।	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 376 दिनांकः—

राजस्व आवेदन संख्या — 82 / 18

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. श्री खेमाराम पुत्र जगमालराम जाति जाट निवासी नागोणा तला, कानोड़ तह. गिड़ा जिला बाड़मेर		1. श्री मेघाराम पुत्र रूपाराम वगैरा 08 निवासी नागोणा तला, कानोड़ तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

मौजा नागोणा तला पटवार हल्का कानोड़ के खेत खसरा नम्बर 474, 752 / 475 रकबा क्रमशः 00.02, 25.05 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु
दिनांकः 12.3.18

क्रमांक / वाद / 2018 / 377-381

प्रतिलिपि —निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, कानोड़ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री खेमाराम पुत्र जगमालराम।
4. विप्रार्थीगण श्री मेघाराम पुत्र रूपाराम वगैरा 08।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner